

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

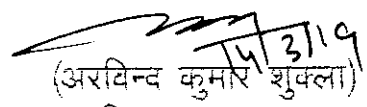
// आदेश //

क्रमांक C/1377

जबलपुर, दिनांक 18/03/2019

चौ-14-25/2018

श्री दीपक कुमार मालवीय, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के विरुद्ध उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर न्यायिक शाखा के प्रथम अपील अनुभाग में डीलिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण प्रथम अपील क्रमांक 170/2005 (उमराओ सिंह विरुद्ध शातिलाल) एवं प्रथम अपील क्रमांक 181/2005 (विकास कुमार जैन विरुद्ध आनंद सिंह) के आर्डर शीट भाग आपके आधिपत्य से गुम करने के आरोप पर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक डी/5526, जबलपुर दिनांक 06.08.2018 द्वारा विभागीय जांच प्रस्तावित की गई, के संबंध में लिखित प्रतिवाद दिनांक 12.11.2018 में आपने आरोप को स्वीकार करने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क. ए/4516, जबलपुर दिनांक 28.12.2018 के संबंध में प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.01.2019 में त्रुटि स्वीकार करने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के अंतर्गत लघुशास्ति "परिनिंदा" (Censure) के दंड से दंडित किया जाता है।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1378

जबलपुर, दिनांक 18/03/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
 2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
 4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. अनुभाग अधिकारी स्था./चेकर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 10. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 11. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 12. श्री दीपक कुमार मालवीय, सहायक ग्रेड-दो, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1379 /

जबलपुर, दिनांक 18/03/2019

श्रीमती अश्विनी गुण्डीगावकर, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विरुद्ध प्रकरण सेकेण्ड अपील क्रमांक 194/2006 (सारस्वत ब्राह्मण समाज विरुद्ध श्याम दास) आर्डर शीट भाग एवं प्रकरण सेकेण्ड अपील क्रमांक 388/2009 (मानकचन्द्र जैन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) का उच्च न्यायालय भाग आपके आधिपत्य से गुम होने से रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/4229/दो-14-5/18 बी, जबलपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट में उक्त आरोप आपके द्वारा स्वीकार किये जाने से सिद्ध पाये जाने तथा प्रकरण सेकेण्ड अपील क्रमांक 194/2006 (सारस्वत ब्राह्मण समाज विरुद्ध श्याम दास) आर्डर शीट भाग एवं प्रकरण सेकेण्ड अपील क्रमांक 388/2009 (मानकचन्द्र जैन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) के पुनर्निर्माण हो जाने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के अन्तर्गत लघुशास्ति "परिनिदा" (Censure) के दंड से वंचित किया जाता है।

14/3/19
(अरावेन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

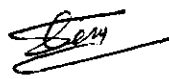
पृष्ठांकन क्रमांक C/1380 /

जबलपुर, दिनांक 18/03/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
3. रजिस्ट्रार आई.टी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
9. अनुभाग अधिकारी स्था./चेकर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
10. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
11. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
12. श्रीमती अश्विनी गुण्डीगावकर, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिप्त ।


(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)
RVC

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1381

जबलपुर, दिनांक 18/02/2019

दो-14-98/17

3

कु. हेमलता भारती, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के विरुद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1727/दो-14-38/2017, जबलपुर दिनांक 07.04.2018 द्वारा न्यायिक शाखा के किमिनल रिवीजन अनुभाग में डीलिंग असिस्टेंट क 1 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण किमिनल रिवीजन क. 679/2013 (सावित्री बाई व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) के अभिलेख 04.12.2016 से ही अप्राप्त होने किंतु कार्यालयीन आदेश के बावजूद स्थापना अनुभाग में दिनांक 27.04.2017 तक अर्थात् लगभग एक वर्ष व चार माह के विलम्ब उपरांत सूचित करने के आरोपों पर विभागीय जाच की गयी। विभागीय जाच में जाचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2018 में आपके विरुद्ध लगाये गये समस्त आरोप सिद्ध पाए जाने, रजिस्ट्री कारण बतओ नोटिस क. डी/570/दो-14-98/17, जबलपुर दिनांक 08.08.2018 के संवंध में आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 17.09.2018 उपरान्त विभागीय जाच प्रकरण के समस्त अभिलेखों व साक्षियों के कथनों पर विचारोपरांत जाचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुये आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत उनकी आगामी देय एक वार्षिक वेतनवृद्धि भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)

पर रजिस्ट्रार जनरल

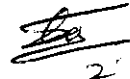
जबलपुर, दिनांक 18/02/2019

पृष्ठांकन क्रमांक C/1382

दो-14-98/17

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
 2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
 4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर/इंदौर
 6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/वजट/पेशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 12. कु. हेमलता भारती, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


23.19
(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

आदेश

क्रमांक C/1385

वा-14-26/2017

जबलपुर, दिनांक 18/02/2019
3

श्रीमती श्रीयुता चव्हाण, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के विरुद्ध उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर न्यायिक शाखा के प्रथम अपील अनुभाग में डीलिंग असिस्टेंट क-6 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण प्रथम अपील क्रमांक 501/2010 (प्रहलाद विरुद्ध योगराज एवं अन्य) का उच्च न्यायालय भाग एवं आर्डर शीट भाग एवं भाग-बी अपने आधिपत्य से गुम करने के आरोप पर रजिस्ट्री झापन क्रमांक डी/5524, जबलपुर दिनांक 06.08.2018 द्वारा विभागीय जांच प्रस्तावित की गई, के संबंध में लिखित प्रतिवाद दिनांक 03.11.2018 में आपने आरोप को स्वीकार करने तथा रजिस्ट्री कारण वताओ नोटिस क. ए/4518, जबलपुर दिनांक 28.12.2018 के संबंध में प्रस्तुत जवाब में त्रुटि स्वीकार करने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत आपकी आगामी दिये एक वार्षिक वेतनवृद्धि भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।

प्रति 3/19
(अरविन्द कुमार शुक्ला)

Per रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 18/02/2019
3

पृष्ठांकन क्रमांक C/1385

वा-14-26/17

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर/इंदौर
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/बजट/पेशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. श्रीमती श्रीयुता चव्हाण, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कायदाही हेतु अंग्रेषित ।

Per

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)

Per